सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2020/00341 दर्ज तिथिः—16.12.2020

1. सताराम पुत्र नवलाराम
   जाति जाट निवासी निम्बलकोट तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. नवलाराम पुत्र ताजाराम
2. राजूराम पुत्र नवलाराम
3. गिरधारीराम पुत्र नवलाराम
   जाति जाट निवासी निम्बलकोट तहसील सिणधरी

.....असल प्रतिवादीगण

4. राजस्थान सरकार तहसीलदार सिणधरी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री नारायण कुमावत
प्रतिवादीः— श्री जोगाराम पोटलिया

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 88,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 17.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा— 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते प्रारम्भिक डिक्री किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गयाः—

   - कि पुश्तैनी भूमि खसरा संख्या 121/1 रकबा 3.1551 है0 मौजा जाणियों की ढाणी पटवार हल्का नीम्बलकोट तहसील सिणधरी में अवस्थित है। मुतनाजा आराजी पक्षकारान की पैतृक आराजी खसरा संख्या 120 के सेढासेढ आई हुई है। मुतनाजा आराजी वक्त बंदोबस्त बंदोबस्त कार्मिकों

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:46:11 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा गलती से सेढा पड़ौसी जीया वल्द अणदा कौम जाट के नाम दर्ज हो गई थी। उक्त बंदोबस्त विभाग की गलती की जानकारी वादीगण को समय पर नहीं हो सकी। उसके बाद बंदोबस्त विभाग की गलती की जानकारी होने पर तत्कालीन खातेदार जीया वल्द अणदा द्वारा जरिए पंजीबंद्ध बयनामा मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम सहमति से करवा दी।

- इस प्रकार मुतनाजा आराजी पैतृक आराजी है। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम इन्द्राज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 02 प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र है। इस कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 02 के मुतनाजा आराजी पर जन्म से ही अधिकार निहित है। इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 अपने अपने हिस्से पर काबिज है।
- कि उक्त पैतृक व सहदायिकी संपति को किसी भी सहदायक द्वारा बिना विधिक विभाजन करवाए सभी सहदायकों की सहमति के बिना बेचान किया जाना हिन्दू विधि के विपरीत है। इसी प्रकार परिवार के कर्ता द्वारा सहदायिकी संपति का बिना विधिक आवश्यकता के बेचान किया जाना हिन्दू विधि के विपरीत है। परंतु प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 के वृद्ध व लाचार होने का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 02 ने प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज होने का नाजायज फायदा उठाकर बिना सहदायकों की सहमति के व बिना विधिक आवश्यकता के संपूर्ण आराजी को अपनी पत्नी प्रतिवादी संख्या 03 केहरी देवी पत्नी राजुराम के नाम जरिए बयनामा खरीद कर ली। इस कारण उक्त बयनामा हिन्दू विधि से विपरीत होने व प्रतिवादी संख्या 01 को उक्त बेचान का अधिकार नहीं होने व प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा मुतनाजा आराजी में अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान किए जाने के कारण उक्त बयनामा आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी है।
- इस प्रकार उक्त बयनामा के हिन्दू विधि से विपरीत होने व प्रतिवादी संख्या 01 को उक्त बेचान का अधिकार नहीं होने व प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा मुतनाजा आराजी में अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान किए जाने के कारण उक्त बयनामा आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करते हुए मुतनाजा आराजी में वादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 02 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 का 1/4 हिस्सा की खातेदारी में अंकित की जावें।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण वाद तामील असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर अपना जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुतनाजा आराजी कभी भी पैतृक आराजी नहीं रही। बल्कि असल में मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 ने जरिए पंजीकृत बयनामा दिनांक 25.08.1978 को प्रतिफल अदा करते हुए खरीद की है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित खरीदसुदा संपति है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 01 को मुतनाजा आराजी को अपनी इच्छा से उपयोग उपभोग व निस्तारण का स्वतंत्र विधिक अधिकार निहित है। उक्त मुतनाजा आराजी पर वादीगण का कोई कब्जा नहीं है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी के स्वअर्जित व पृथक संपति होने के कारण वादीगण को कोई अधिकार नहीं है। साथ ही पंजीबद्ध

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:46:11 IST
Reason: SelfAttested

बयनामा के रहते हुए राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को पूर्ण प्रतिफल अदा कर उक्त मुतनाजा संपति खरीद की है। इस कारण पंजीबद्ध दस्तावेज शून्य व अवैध नहीं होकर वर्तमान में प्रभावी है। इस प्रकार वादीगण को उक्त आराजी पर कोई खातेदारी अधिकार नहीं है। साथ ही वादीगण खातेदार प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः दावा वादी खारिज किया जावे।

3. प्रकरण में तनकियात कायम किए गए। प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के अवलोकन पश्चात उभयपक्षकारों के मध्य विवाद के मुख्य बिन्दु निर्धारित करने हेतु निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गयेः—

1. *आया विवादित खेत ग्राम जाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र नीम्बलकोट तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 121/1 रकबा 3.1551 है0 भूमि में वादीगण संख्या 01 व 02 प्रत्येक के 1/4 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक 1/4 हिस्सा खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है।*

.....वादीगण

2. *आया विवादित भूमि में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी हो।*

.....वादीगण

4. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए—

संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी वक्त बंदोबस्त मौजा निंबलकोट	प्रदर्श—पी01
वर्तमान चालू जमाबंदी खसरा सं.121/1 मौजा जाणियों की ढाणी	प्रदर्श—पी02
नक्शा खसरा संख्या 121/1 मौजा जाणियों की ढाणी	प्रदर्श—पी03
नामांतरकरण प्रपत्र मौजा जाणियों की ढाणी	प्रदर्श—पी04
बेचाननामा	प्रदर्श—पी05
स्टांप	प्रदर्श—पी06

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
सताराम पुत्र नवलाराम	जाट	निम्बलकोट	पी0डब्ल्यू—1
गिरधारीराम पुत्र नवलाराम	जाट	निम्बलकोट	पी0डब्ल्यू—2
दूदाराम पुत्र पीराराम	जाट	निम्बलकोट	पी0डब्ल्यू—3
पोलाराम पुत्र ताजाराम	जाट	निम्बलकोट	पी0डब्ल्यू—4

6. प्रकरण में सताराम पुत्र नवलाराम पी0डब्ल्यू—01, गिरधारीराम पुत्र नवलाराम पी0डब्ल्यू—02, दूदाराम पुत्र पीराराम पी0डब्ल्यू—3, पोलाराम पुत्र ताजाराम पी0डब्ल्यू—4 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:46:11 IST
Reason: SelfAttested

- उक्त पुश्तैनी भूमि खसरा संख्या 121/1 रकबा 3.1551 है0 मौजा जाणियों की ढाणी पटवार हल्का नीम्बलकोट तहसील सिणधरी में अवस्थित है। मुतनाजा आराजी पक्षकारान की पैतृक आराजी खसरा संख्या 120 के सेढासेढ आई हुई है। मुतनाजा आराजी वक्त बंदोबस्त बंदोबस्त कार्मिकों द्वारा गलती से सेढा पड़ौसी जीया वल्द अणदा कौम जाट के नाम दर्ज हो गई थी। उक्त बंदोबस्त विभाग की गलती की जानकारी वादीगण को समय पर नहीं हो सकी। उसके बाद बंदोबस्त विभाग की गलती की जानकारी होने पर तत्कालीन खातेदार जीया वल्द अणदा द्वारा जरिए पंजीबद्ध बयनामा मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम सहमति से करवा दी।
- इस प्रकार मुतनाजा आराजी पैतृक आराजी है। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम इन्द्राज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 02 प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र है। इस कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 02 के मुतनाजा आराजी पर जन्म से ही अधिकार निहित है। इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 अपने अपने हिस्से पर काबिज है।
- कि उक्त पैतृक व सहदायिकी संपति को किसी भी सहदायक द्वारा बिना विधिक विभाजन करवाए सभी सहदायकों की सहमति के बिना बेचान किया जाना हिन्दू विधि के विपरीत है। इसी प्रकार परिवार के कर्ता द्वारा सहदायिकी संपति का बिना विधिक आवश्यकता के बेचान किया जाना हिन्दू विधि के विपरीत है। परंतु प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 के वृद्ध व लाचार होने का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 02 ने प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज होने का नाजायज फायदा उठाकर बिना सहदायकों की सहमति के व बिना विधिक आवश्यकता के संपूर्ण आराजी को अपनी पत्नी प्रतिवादी संख्या 03 केहरी देवी पत्नी राजुराम के नाम जरिए बयनामा खरीद कर ली। इस कारण उक्त बयनामा हिन्दू विधि से विपरीत होने व प्रतिवादी संख्या 01 को उक्त बेचान का अधिकार नहीं होने व प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा मुतनाजा आराजी में अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान किए जाने के कारण उक्त बयनामा आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी है।
- इस प्रकार उक्त बयनामा के हिन्दू विधि से विपरीत होने व प्रतिवादी संख्या 01 को उक्त बेचान का अधिकार नहीं होने व प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा मुतनाजा आराजी में अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान किए जाने के कारण उक्त बयनामा आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करते हुए मुतनाजा आराजी में वादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 02 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 का 1/4 हिस्सा की खातेदारी में अंकित की जावें।
- इसके समर्थन में वादी द्वारा पैरा—04 मे अंकित दस्तावेज प्रदर्श करवाएं हैं।

7. प्रकरण में सताराम पुत्र नवलाराम पी0डब्ल्यू—01 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि बंदोबस्त से हमारे पैतृक खेत में हमारा घर, ढाणी व कब्जा काश्त है। हमारे हिस्से की जमीन पर हम काश्त करते है। हम तीन भाई है। हमारे कोई बहन नहीं है। मेरे पिताजी जीवित है और राजुराम के साथ रहते है। विवादित आराजी बंदोबस्त के समय मेरे पिताजी नवलाराम के नाम से जमाबंदी में दर्ज नहीं हुआ था। उक्त खेत वक्त बंदोबस्त जीयाराम पुत्र अणदाराम के नाम से खातेदारी में दर्ज हुआ

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:46:11 IST
Reason: SelfAttested

था। उक्त खेत जीयाराम ने जरिए पंजीबद्ध बयनामा नवलाराम को बेचान किया था। और उस बयनामे के आधार पर मेरे पिताजी नवलाराम के नाम नामांतरकरण दर्ज होकर जमाबंदी में नाम दर्ज हुआ। उक्त आराजी पर हमारा घर ढाणी बनी हुई नहीं है बल्कि खेती वगैराह करते है। उक्त खसरा नवलाराम के नाम से था। जिन्होने अपने जीवनकाल में केहरी देवी पत्नी राजुराम को बेचान कर दिया और उक्त खेत पर केहरी देवी व राजुराम के द्वारा भी काश्त की जाती है। अजखुदका कहा कि हम भी काश्त करते है।

8. प्रकरण में गिरधारीराम पुत्र नवलाराम पी0डब्ल्यू—02 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मेरी उम्र 25 साल होने से पूर्व हमारा पालन पिताजी करते थे। यह जमीन बापिणी है। यह कहना सही है कि जमीन खरीद की उस समय मै 7—8 वर्ष का था। यह कहना भी सही है कि उस समय सताराम की उम्र 10 वर्ष थी। यह कहना सही है कि उस समय हम नासमझ थे। यह बात भी सही है कि उस समय हमारा पालन—पोषण हमारे पिताजी ही करते थे। यह कहना सही है कि मेरे पिताजी ने स्वयं अर्जित मजदूरी से जमीन खरीद की है। मेरे पिताजी हमसे दूर रहते है इसलिए हम सेवा नहीं कर पाते है। मेरे पिताजी ने जीयाराम से खरीद की हुई स्वअर्जित संपति को अपनी जायज जरूरत अनुसार बेचान क्यों किया यह मुझे नहीं पता। यह कहना सही है कि नवलाराम की पिछले करीब 30 साल से राजुराम का परिवार बच्चे व पत्नी ही सेवा करते है।

9. प्रकरण में दूदाराम पुत्र पीराराम पी0डब्ल्यू—3ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि यह कहना सही है कि नवलाराम जीवित है। नवलाराम के तीन बेटे है। नवला एक बेटे को जमीन बेच रहा है जिसमें तीनों का हक है। इसलिए यह दावा किया है। आगे बेचान नहीं करें। यह कहना सही है कि नवलाराम ने रजिस्ट्री से अपने नाम करवाई थी। अजखुदका कहा कि पैसे नहीं दिए थे।

10. प्रकरण में पोलाराम पुत्र ताजाराम पी0डब्ल्यू—4 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि नवलाराम जीवित है। यह कहना सही है कि विवादित खेत की रजिस्ट्री हुई हो। सेटलमेंट के समय ताजाराम के नाम था। नवला का हिस्सा नवला के नाम ताजाराम ने करवा दिया था। खरीदी हुई जमीन में बाप के जीते जी बेटे का नाम नहीं आता है। परंतु यह जमीन खरीदी हुई नहीं है।

11. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
नवलाराम पुत्र ताजाराम	जाट	जाणियों की ढाणी	डी0डब्ल्यू—1
राजूराम पुत्र नवलाराम	जाट	जाणियों की ढाणी	डी0डब्ल्यू—2
कोशलाराम पुत्र मंगनाराम	जाट	सांजटा	डी0डब्ल्यू—3
केहरी देवी पत्नी राजूराम	जाट	निम्बलकोट	डी0डब्ल्यू—4

12. प्रकरण में नवलाराम पुत्र ताजाराम डी0डब्ल्यू—01, राजूराम पुत्र नवलाराम डी0डब्ल्यू—02, कोशलाराम पुत्र मंगनाराम डी0डब्ल्यू—3, केहरी देवी पत्नी राजूराम डी0डब्ल्यू—4 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:46:11 IST
Reason: SelfAttested

- कि मुतनाजा आराजी कभी भी पैतृक आराजी नहीं रही। बल्कि असल में मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 ने जरिए पंजीकृत बयनामा दिनांक 25.08.1978 को प्रतिफल अदा करते हुए खरीद की है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित खरीदसुदा संपति है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 01 को मुतनाजा आराजी को अपनी इच्छा से उपयोग उपभोग व निस्तारण का स्वतंत्र विधिक अधिकार निहित है।
- उक्त मुतनाजा आराजी पर वादीगण का कोई कब्जा नहीं है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी के स्वअर्जित व पृथक संपति होने के कारण वादीगण को कोई अधिकार नहीं है। साथ ही पंजीबद्ध बयनामा के रहते हुए राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को पूर्ण प्रतिफल अदा कर उक्त मुतनाजा संपति खरीद की है। इस कारण पंजीबद्ध दस्तावेज शून्य व अवैध नहीं होकर वर्तमान में प्रभावी है। इस प्रकार वादीगण को उक्त आराजी पर कोई खातेदारी अधिकार नहीं है।
- साथ ही वादीगण खातेदार प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।

13. प्रकरण में नवलाराम पुत्र ताजाराम डी0डब्ल्यू—1 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मै ताजाराम का बेटा मेरे तीन लड़के है। सताराम, गिरधारी व राजु तीन बेटे है। यह कहना सही है कि मुझे कम सुनाई व दिखाई देता है। यह कहना सही है कि मै राजुराम के साथ रहता हुं और आज मे राजुराम के साथ आया हुं। यह कहना सही है कि जीयाराम व मेरी जमीन सेढासेढ आई हुई है। यह कहना सही है कि वादग्रस्त आराजी जीयाराम के नाम से वक्त बंदोबस्त सही नपी थी। यह कहना गलत है कि मैने उक्त आराजी जीयाराम से मोल खरीदी हो। यह कहना सही है कि जमीन की रजिस्ट्री केहरी के नाम करवाई तब साथ में कोई नहीं था। उक्त आराजी की रजिस्ट्री केहरी के नाम से करवाई तब 300000 रूपये मिले थे। राजु ने वो पैसे मुझे दिए थे। यह कहना सही है कि मुझे गिनती नहीं आती पर पैसे गिनने आते है। सिणधरी से जब मै घर गया तब उक्त पैसे मैने राजुराम को वापस दे दिए। इस जमीन मे मेरे तीनो लड़को का हक बराबर नहीं है। केवल राजुराम का हक है। यह बात गलत है कि तीनों लड़को का हक होने के बाद भी एक को दे रहा हुं।

14. प्रकरण में राजूराम पुत्र नवलाराम डी0डब्ल्यू—2 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मै यह कहना गलत है कि यह जमीन मेरे दादा ताजाराम की थी एवं गलत रूप से सेटलमेंट में जिया वल्द अणदा के नाम से चढी थी। यह कहना गलत है कि केहरी के नाम रजिस्ट्री हुई तब पैसो का लेनदेन नहीं हुआ हो। केहरी के नाम रजिस्ट्री हुई तब मैने नवलाराम को 2 लाख रूपये दिए थे। यह कहना गलत है कि इस जमीन मे तीनों भाईयों का हक होने से मेरी पत्नी के नाम गलत रजिस्ट्री करवाई हो। नवलाराम मेरे साथ रहते है। उक्त जमीन में सताराम व गिरधारी का हक नही है। अजखुदका कहा कि नवलाराम के लड़के रोटी नहीं देते है। यह कहना सही है कि पिता जिसके साथ रहते है वही रोटी देता है। अजखुदका कहा कि वो खुद रखते नहीं है। मै सबसे छोटा लड़का हुं। यह कहना गलत है कि अपने

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:46:11 IST
Reason: SelfAttested

यहां रीतिरिवाज के अनुसार पिताजी छोटे लडके के साथ रहते हो। यह कहना सही है कि अन्य खसरों की रजिस्ट्री मेरे नाम से नवलाराम ने करवाई थी जो सताराम ने कोर्ट से खारिज करवा दी।

15. प्रकरण में कोशलाराम पुत्र मंगनाराम डी0डब्ल्यू—3 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मै दावे वाले खेत का सेटलमेंट हुआ तब मैं साथ मे नही था। यह कहना गलत है कि सेटलमेंट जीयाराम के नाम गलत हुआ हो। यह खेत मोल खरीदा हुआ है। यह कहना गलत है कि सेटलमेंट जिया वल्द अणदा के नाम से गलत होने से जमीन नवला की होने से उनके पक्ष में रजिस्ट्री करवाई हो। यह कहना सही है कि रजिस्ट्री के वक्त मै साथ नही था। केहरी के नाम से रजिस्ट्री हुई तब साथ था। उक्त रजिस्ट्री में मेरे हस्ताक्षर व साक्ष्य नहीं है। नवलाराम मेरे भाणेज लगता है। नवलाराम ने उक्त संपति खरीदी थी। जिसका खर्चा राजुराम ने दिया था। नवलाराम व राजुराम दोनो एक ही घर में रहते है। यह कहना गलत है कि जमीन पुश्तैनी है। नवलाराम की रजिस्ट्री हुई तब केहरी ने पैसे दिए थे। केहरी ने नवलाराम को रजिस्ट्री के 20 लाख रूपये दिए थे। यह कहना गलत है कि नवलाराम ने व राजुराम ने सताराम व गिरधारी को अपने हक से वंचित करने के लिए बेचान लिखवाया हो।

16. प्रकरण में केहरी देवी पत्नी राजूराम डी0डब्ल्यू—4 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मेरी शादी हुए 35 साल हो गए है। यह कहना गलत है कि सेटलमेंट के समय जमीन ताजाराम की हो। मेरे नाम रजिस्ट्री हुई उस समय कोशलाराम व मेरा पति साथ में थे। रजिस्ट्री करवाई तब नवलाराम को 3 लाख रूपये दिए थे। वो पैसे मैने खुद ने दिए थे मेरे पति राजुराम ने नहीं दिए थे। नवलाराम व राजुराम साथ में रहते है। यह कहना सही है कि नवलाराम ने मेरे पति राजुराम के नाम से अन्य खसरों में रजिस्ट्री करवाई जो सताराम ने खारिज करवा दी। यह कहना गलत है कि उक्त जमीन में हम सताराम व गिरधारी को हिस्सा देना नहीं चाहते है। यह कहना गलत है कि हमने उक्त रजिस्ट्री नवलाराम को दबाव में लाकर धोखे से बिना पैसे करवाई हो। उक्त आराजी पर मेरा कब्जा है और नवलाराम की अन्य पैतृक आराजी पर सभी का कब्जा है।

17. प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौरान—ए—जिरह विद्वान अभिभाषक वादी ने निवेदन किया कि उक्त बयनामा के हिन्दू विधि से विपरीत होने व प्रतिवादी संख्या 01 को उक्त बेचान का अधिकार नहीं होने व प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा मुतनाजा आराजी में अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान किए जाने के कारण उक्त बयनामा आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करते हुए मुतनाजा आराजी में वादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 02 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 का 1/4 हिस्सा की खातेदारी में अंकित की जावें। दौरान—ए—जिरह विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी ने निवेदन किया मुतनाजा आराजी के स्वअर्जित व पृथक संपति होने के कारण वादीगण को कोई अधिकार नहीं है। साथ ही पंजीबद्ध बयनामा के रहते हुए राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को पूर्ण प्रतिफल अदा कर उक्त मुतनाजा संपति खरीद की है। इस कारण पंजीबद्ध दस्तावेज शून्य व अवैध नहीं होकर वर्तमान में प्रभावी है। इस प्रकार वादीगण को

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:46:11 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आराजी पर कोई खातेदारी अधिकार नहीं है। साथ ही वादीगण खातेदार प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

18. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस कारण प्रकरण में प्रथम तनकी का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम तनकी निम्न प्रकार हैंः—

    1. *आया विवादित खेत ग्राम जाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र नीम्बलकोट तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 121/1 रकबा 3.1551 है0 भूमि में वादीगण संख्या 01 व 02 प्रत्येक के 1/4 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक 1/4 हिस्सा खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है।*

    .....वादीगण

19. प्रकरण में प्रथम तनकी वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि वादी व प्रतिवादी एक ही परिवार के संबंधित है। प्रकरण का पहला मुख्य विवाद है कि उक्त आराजी पैतृक संपति है अथवा नहीं है। इस संबंध में वादी का अभिकथन है कि मुतनाजा आराजी पक्षकारान की पैतृक आराजी खसरा संख्या 120 के सेढासेढ आई हुई है। मुतनाजा आराजी वक्त बंदोबस्त बंदोबस्त कार्मिकों द्वारा गलती से सेढा पड़ौसी जीया वल्द अणदा कौम जाट के नाम दर्ज हो गई थी। उक्त बंदोबस्त विभाग की गलती की जानकारी वादीगण को समय पर नहीं हो सकी। उसके बाद बंदोबस्त विभाग की गलती की जानकारी होने पर तत्कालीन खातेदार जीया वल्द अणदा द्वारा जरिए पंजीबंद्ध बयनामा मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम सहमति से करवा दी। इसके खंडन में प्रतिवादी का अभिकथन है कि मुतनाजा आराजी कभी भी पैतृक आराजी नहीं रही। बल्कि असल में मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 ने जरिए पंजीकृत बयनामा दिनांक 25.08.1978 को प्रतिफल अदा करते हुए खरीद की है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित खरीदसुदा संपति है।

20. प्रकरण में प्रदर्श—01 खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012—31 मौजा निम्बलकोट खाता संख्या 31 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मुतनाजा आराजी जीया वल्द अणदा कौम जाट के नाम खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड रही है। इससे स्पष्ट है कि उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी नहीं रही। वादी का कथन है कि उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज नवलाराम के पिताजी ताजाराम की कब्जे काश्त की संपति है। लेकिन वादी अपने इस अभिकथन के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से मुतनाजा आराजी के पैतृक संपति होने के तथ्य के बारे में वादी को कोई सहायता नहीं मिलती है। वादी द्वारा बंदोबस्त से पूर्व का कोई राजस्व दस्तावेज या बंदोबस्त के पश्चात के समय की कोई खसरा गिरदावरी या बंदोबस्त के समय का कोई पर्चा लगान प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही वादी द्वारा बंदोबस्त के समय बंदोबस्त कार्मिकों को दिया गया कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त आराजी वादीगण की पैतृक आराजी नहीं होकर जीया वल्द अणदा की खातेदारी आराजी रही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:46:11 IST
Reason: SelfAttested

21. इस संबंध में वादी का मुख्य जोर रहा है कि पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 25.08.1978 में विक्रेता जीया वल्द अणदा ने अभिकथन किया है कि मुतनाजा आराजी नवलाराम व ताजाराम की पैतृक आराजी रही है। लेकिन गलती से जीया वल्द अणदा के नाम चढ गई। जीया वल्द अणदा द्वारा नवला वल्द ताजा के नाम रजिस्ट्री करवाकर मुतनाजा आराजी वापस कर दी। लेकिन इस संबंध में पंजीबद्ध बयनामा में उल्लेखित अभिकथनों को ही प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है। वादी द्वारा पंजीबद्ध बयनामा में गवाहों को हस्तगत प्रकरण में बतौर गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे पंजीबद्ध बयनामा में उल्लेखित अभिकथनों को साबित किया जा सके। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से मुतनाजा आराजी के पैतृक संपति होने के तथ्य के बारे में वादी को कोई सहायता नहीं मिलती है।

22. उल्लेखनीय है कि पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 25.08.1978 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विक्रेता जीया वल्द अणदा ने बकायदा पूर्णप्रतिफल लेकर क्रेता नवला वल्द ताजा को आराजी बेचान की है। प्रकरण में पीडब्ल्यु—02 गिरधारी पुत्र नवला ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि गिरधारी पुत्र नवला की उम्र 25 साल होने से पूर्व उनका पालन पिताजी नवलाराम करते थे। यह कहना सही है कि जमीन खरीद की उस समय गिरधारी 7—8 वर्ष का था। यह कहना भी सही है कि उस समय सताराम की उम्र 10 वर्ष थी। यह कहना सही है कि उस समय सताराम व गिरधारी नासमझ थे। यह बात भी सही है कि उस समय वादीगण पालन—पोषण पिताजी नवलाराम ही करते थे। यह कहना सही है कि वादीगण के पिताजी ने स्वयं अर्जित मजदूरी से जमीन खरीद की है। इससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त आराजी के खरीद के समय वादीगण के पास कोई आय का स्रोत नही था। उक्त आराजी नवलाराम ने ही अपनी कमाई से खरीद की थी। इस प्रकार उक्त संपति नवलाराम की स्वअर्जित संपति प्रतीत होती है।

23. प्रकरण में मुतनाजा आराजी को जीया वल्द अणदा की खातेदारी आराजी को नवलाराम द्वारा अपनी स्वयं की स्वतंत्र कमाई से खरीदने के कारण नवलाराम की स्वअर्जित संपति माना जाना उचित प्रतीत होता है। हिन्दू विधि का सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति अपनी स्वअर्जित संपति का अपनी इच्छानुसार उपयोग, उपभोग व निस्तारण करने हेतु स्वतंत्र है। चूकि मुतनाजा आराजी नवलाराम प्रतिवादी संख्या 01 की स्वार्जित संपति है। अतः नवलाराम प्रतिवादी संख्या 01 को अपनी संपति को अपनी इच्छानुसार निस्तारण करने का पूर्णअधिकार है। इस आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने किसी एक पुत्र या पुत्र की पत्नी या किसी अन्य दीगर व्यक्ति के पक्ष में किए गए अंतरण को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार वादीगण अपना प्रकरण साबित करने में असफल रहे है। इस कारण तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में अस्वीकार की जाती है।

24. अब प्रकरण में द्वितीय तनकी का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम तनकी निम्न प्रकार हैंः—

2. आया विवादित भूमि में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:46:11 IST
Reason: SelfAttested

25. प्रकरण में द्वितीय तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

26. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

27. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में तनकी संख्या 01 के वादीगण के पक्ष में स्वीकार नहीं होने के कारण मुतनाजा आराजी पर वादीगण का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार वर्तमान में केहरी पत्नी राजू मुतनाजा आराजी की खातेदार काश्तकार है। एक खातेदार काश्तकार के विरूद्ध बिना हक के कोई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं की जा सकती है। इस कारण वादीगण का प्रतिवादी के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रकरण नहीं बनता है। अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:46:11 IST
Reason: SelfAttested

निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस प्रकार तनकी संख्या 02 को भी वादीगण साबित करने में असफल रहे है एवं तनकी संख्या 01 के वादीगण के पक्ष में स्वीकार नहीं होने के कारण तनकी संख्या 02 स्वतः ही वादीगण के पक्ष में अस्वीकार की जाती है।

28. इस प्रकार प्रकरण में मुतनाजा आराजी पर वादीगण को कोई खातेदारी अधिकार निहित नहीं होने व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण नहीं बनता है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 17.03.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

सहायक कलक्टर (उपखंड अधिकारी) न्यायालय
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:46:11 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2020/00339 दर्ज तिथिः—16.12.2020

1. सताराम पुत्र नवलाराम
   जाति जाट निवासी निम्बलकोट तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. नवलाराम पुत्र ताजाराम
2. राजूराम पुत्र नवलाराम
3. गिरधारीराम पुत्र नवलाराम
   जाति जाट निवासी निम्बलकोट तहसील सिणधरी

.....असल प्रतिवादीगण

4. राजस्थान सरकार तहसीलदार सिणधरी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री नारायण कुमावत
प्रतिवादीगणः— श्री जोगाराम पोटलिया

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 88,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क अस्वीकार किया जाता है।

यह प्रारम्भिक डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 17.03.2025 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:46:11 IST
Reason: SelfAttested